विदेशी घुसपैठियों को स्वदेश वापस भेजा जाना

7147. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1995 के दैनिक "हिन्दु" में "दे कॉन्ट बी थ्रान आऊट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में अवैध रूप से घुसपैठ कर प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को स्वदेश वापस भेजने के संबंध में कोई सुनियोजित नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई सुनियोजित नीति नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने/पता लगाने तथा उनको स्वदेश लौटाने के लिए केन्द्र सरकार की शक्तियां, विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अधीन राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार की सरकारों/प्रशासनों को सौंप दी गई हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उनको स्वदेश वापस भेजने के कड़े प्रयास करने के लिए, समय-समय पर, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों/प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रतिनिधिमंडल की कश्मीर यात्रा

7148. **श्रीमती आनन्दी बैन जेठाभाई पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उनके नेतृत्व में किसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कश्मीर की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त प्रतिनिधिमंडल में कितने मंत्री, कितने सांसद और कितने विभिन्न अधिकारी शामिल थे;

(ग) क्या इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण): (क) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने अनेक अवसरों पर राज्य का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति तथा स्थानीय प्रशासन को पुन: सक्रिय बनाने, विकासात्मक योजनाओं को सक्रियता से लागू करने उनका प्रबोधन करने, राजनैतिक तत्वों को पुन: सक्रिय बनाने तथा राज्य में शांति और राजनैतिक प्रक्रिया की पुनर्बहाली से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा के लिए राज्य के राज्यपाल, वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनैतिक नेताओं से विस्तृत चर्चाएं की।

अर्द्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण

7149. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे अर्द्ध-सैनिक बलों के पास सैन्यकर्मियों, आधुनिक साजो-समान और उपकरणों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हमारे अर्द्ध-सैनिक बलों को शीघ्रातिशीघ्र आधुनिक बनाने की कोई योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार इसके लिये कोई विशेष बजट-प्रावधान करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) जी, हां श्रीमान। तथापि कुछ एक अर्द्ध-सैनिक बलों में कार्मिकों और अत्याधुनिक सामग्री और उपकरणों की कमी मामूली है कार्मिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की 11 बटालियनें स्वीकृत की गयी थी।

हथियारों, संचार प्रणाली, परिवहन और विशेष उपकरणों के बारे में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रियां है, जिसे आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्राथमिक आधार पर किया जाता है। तथापि संचार प्रणाली के संबंध में आधुनिकीकरण की योजना, जिसमें 48.27 करोड़ रु. का व्यय अन्तर्ग्रस्त है, 1½ साल पहले तैयार की गयी थी लेकिन बाद में 10 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मध्य नजर रखते हुए, यह योजना अब सरकार के समीक्षाधीन है।

(ग) से (घ) आधुनिकीकरण के लिए कोई विशेष बजट संबंधी प्रावधान करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा विभिन्न प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं जो उनकी अपनी-अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर होते है, जिन पर, उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तेजी से कार्रवाई की जाती है।